

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- २.५/२३

तारीख दायर ३१/३/२३

फोरिया पुत्र देराम जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. जोधा पुत्र मथरा जाति भीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा हाल मुकाम सायड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मुकेश पुत्र रामा जाति भीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा हाल मुकाम सायड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. छीतर पुत्र मोड़ा जाति भीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा हाल मुकाम सायड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. किसना पुत्र पाबु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी दुदियाखेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. रतिराम पुत्र मगना जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा हाल मुकाम सायड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा०ले०रे०एक्ट

—: आदेश —:

दिनांक ३१/३/२३

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम जलीन्दी पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 442 पर अंकित आराजी संख्या 1069/11 रकबा 0.4532 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगद्दी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगद्दी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ को पत्थरगद्दी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम जलीन्दी पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 442 पर अंकित आराजी संख्या 1069/11 रकबा 0.4532 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगद्दी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगद्दी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - २५/२३

तारीख दायर ३१/३/२३

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या २५/२० / २०२३ पत्थरगढ़ी बाबत।

फोरिया पुत्र देराम जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी दुदियाखेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. जोधा पुत्र मथरा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा हाल मुकाम सायड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मुके 1 पुत्र रामा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा हाल मुकाम सायड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. छीतर पुत्र मोड़ा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा हाल मुकाम सायड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. किसना पुत्र पाबु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी दुदियाखेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. रतिराम पुत्र मगना जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा हाल मुकाम सायड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम जलीन्दी पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 442 पर अंकित आराजी संख्या 1069/11 रकबा 0.4532 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमिश्नर फीस 500/- रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ौसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



.....
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
बिजौलियाँ